

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में श्रमजीवी छात्रावास के समीप 150 बेडेड गर्ल्स हास्टल निर्माण में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 13 वृक्षों एवं पटेल छात्रावास के पीछे तून के दो पेड़ों की नीलामी सम्पत्ति विभाग में टेन्डर प्रक्रिया द्वारा जहाँ है जैसे है के आधार पर गठित समिति के समक्ष दिनांक 26.05.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे टेन्डर डाले जायेंगे तथा उसकी समय समिति के समक्ष टेन्डर खोले जायेंगे।

(अनिल कुमार सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्यगणों को इस आशय से प्रेषित की उक्त नीलामी प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु उक्त दिनांक एवं समय पर उपस्थिति होकर प्रतिभाग करने की कृपा करें।
- ✓ 2. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को इस आशय से उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
3. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
4. सुरक्षा अधिकारी को इस आशय से कि नीलामी की तिथि को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


(अनिल कुमार सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक

नीलामी की शर्तें

1. उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण धनराशि मा0 कुलपति के अनुमोदनोपरान्त वि0वि0 कोष में जमा करानी होगी।
2. क्रेता को पेड़/लकड़ी काटकर 15 दिवसों में हटानी होगी।
3. पेड़/लकड़ी काटते समय किसी प्रकार की क्षति/दुर्घटना होती है तो समस्त उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।
4. क्रेताओं को पेड़/लकड़ी का निरीक्षण दिनांक 24.05.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से 02:00 बजे तक कराया जायेगा। तथा टेन्डर डालने से पूर्व धरोहर धनराशि रु0 50,000/- नगद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 26.05.2025 को अपरान्ह 2:30 बजे तक जमा करनी होगी।
5. क्रेता को 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा करनी होगी।
6. क्रेता टेन्डर फार्म सभी कार्य दिवसों में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 26.05.2025 को 02:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
7. टेन्डर फार्म का मूल्य रु0 1000/- नकद जमा कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। टेन्डर फार्म की धनराशि वापस नहीं होगी।
8. नीलामी प्रक्रिया निरस्त कराने का अधिकार पूर्णतया गठित समिति को होगा।


(अनिल कुमार सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक